

फा.सं.एफ.1/142(31)/2022-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा / लघुसूचीबद्ध करने का विवरण	
पद का नाम	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक कृषि विपणन सलाहकार (समूह-I) के पद की 05 (पांच) (अनारक्षित-02, ईडब्ल्यूएस-01, अ.पि.व. - 01, अ.जा.-01), (पीडब्ल्यूबीडी-01) रिक्तियां।
विज्ञापन सं.	22/2022
रिक्ति सं.	22112201226

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	<p>(क) शैक्षणिक:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक अथवा अधिक विषयों जैसे कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन या कृषि विपणन तथा सहकारिता या कृषि विस्तार शिक्षा अथवा कृषि सांख्यिकी अथवा कृषि संचार अथवा कृषि व्यवसाय अथवा कृषि इंजीनियरी अथवा फसलोत्तर प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रसंस्करण अथवा फसलोत्तर प्रबंधन अथवा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स अथवा बागवानी सहित कृषि में स्नातकोत्तर की डिग्री या अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा सांख्यिकी अथवा व्यवसायिक प्रबंधन सहित वनस्पति विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री।</p> <p>(ख) अनुभव</p> <p>सहकारी विपणन सहित कृषि विपणन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p>
-------------------------------	---

अपनाए गए मानदंड	<p>i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है।</p> <p>ii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p>
-----------------	---

- iii) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों पर ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।
- iv) कृषि विस्तार और वाणिज्य में मास्टर डिग्री को विचार करने हेतु स्वीकार नहीं किया गया है।
- v) अध्यापन पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया गया है।
- vi) अनुभव प्रमाण-पत्र, भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010 दिनांक 23.12.2010 के अनुसार विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर तभी विचार किया गया है, यदि उसमें समस्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो।
- vii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।
- viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
- ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

संवीक्षा विवरण दिनांक 09/05/2024 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे जिसमें अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 19/05/2024 तक अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

64 उम्मीदवारों से ई-मेल के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच कर ली गई है। विचार क्षेत्र में आने वाले सभी आवेदनों की पुनर्जांच कर ली गई है। ऑन-लाइन आवेदनों की पुनर्जांच, इसमें दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव, ओआरए के साथ प्राप्त समर्थक दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदण्डों और मापदण्डों के संदर्भ में की गई है।

अनुक्रमांक 48, 158, 172, 260, 388, 414 को अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है और ये दस्तावेज उचित पाए गए हैं। इस प्रकार उक्तकी अनंतिमता समाप्त हो गई है।

अनुक्रमांक 87 को आरंभ में जन्म की तारीख के प्रमाण तथा मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र के लिए अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। चूंकि इस उम्मीदवार ने उपरोक्तानुसार संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए उसे अपूर्ण के रूप में अस्वीकार किया जाता है।

अभ्यावेदन की जांच करने के उपरांत अपनाए गए मानदण्डों में संशोधन करते हुए 'खाद्य प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री' की योग्यताओं को अ.यो.-क के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप विचार क्षेत्र में शामिल समान योग्यता वाले अन्य आवेदकों के आवेदनों की भी पुनर्जांच की गई है। तदनुसार अनुक्रमांक 83, 396 को लघुसूचीबद्ध किया गया है और अनुक्रमांक 40, 56 तथा 179 की अस्वीकृति की श्रेणी को एलईक्यू-क से एलईसी में बदल दिया गया है।

आरंभ में, अनुक्रमांक 289 को एलईक्यू-ख श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। किन्तु पुनः विचार किए जाने पर इस उम्मीदवार को पात्र पाया गया, अतः इस उम्मीदवार को लघुसूचीबद्ध किया जाता है।

अनुक्रमांक 74 को निर्धारित आयु से अधिक आयु के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। इस उम्मीदवार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत काम करने का दावा किया जा रहा है और उम्मीदवार ने आयु में छूट संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के रूप में विचार नहीं किया जाता है, अतः यह उम्मीदवार आयु में छूट का पात्र नहीं है। अतः इस उम्मीदवार की अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 11, 12, 37, 50, 68, 103, 125, 130, 133, 136, 183, 204, 248, 251, 270, 297, 307, 389, 410, 416, 430 को एलईक्यू-क श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। उनके अभ्यावेदनों की जांच की गई है। अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार कृषि विस्तार और वाणिज्य में मास्टर डिग्री को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः, उक्तकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 65, जिसे एलईक्यू - क श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था, जिन्होंने अब यह बताया किया है कि उनकी पीएचडी संगत विषय में है। तथापि, पुनः संवीक्षा में यह पाया गया है कि उनका अनुभव सहकारी विपणन सहित कृषि विपणन में नहीं होने के कारण इस उम्मीदवार को एलईक्यू-ख श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

अनुक्रमांक 17, 67, 114, 143, 207, 239, 293, 335, 344, 347, 355, 393, 401, 415, 424 को एलईक्यू-ख श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था, क्योंकि ओआरए में किए गए दावे संगत नहीं थे। पुनर्जांच के उपरांत भी यह पाया गया है कि भर्ती नियमों और अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार उनके अनुभव की श्रेणी संगत नहीं है। अतः उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 118, 168, 387 और 397 को अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। अनुक्रमांक 118, 387, 397 ने असंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। किन्तु अनुक्रमांक 168 ने अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कार्यों के स्वरूप का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उपर्युक्त उम्मीदवारों की अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

आरंभ में, अनुक्रमांक 431 को एलईक्यू-क श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। परंतु उम्मीदवार द्वारा अनुरोध किए जाने पर पुनः विचार किए जाने के आधार पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने ओआरए में मास्टर डिग्री प्रस्तुत की है। परंतु पुनः संवीक्षा किए जाने पर उसे एलईक्यू - ख श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। अतः उसकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 435 को 'अपूर्ण - कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं' श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया था। चूंकि उम्मीदवार ने कार्यों के स्वरूप के रूप में स्वयं साध्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जोकि स्वीकार्य नहीं है। अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 03, 301 के पास न्यूनतम अपेक्षित अनुभव हैं। परंतु उनका संगत अनुभव 07 वर्ष से कम अवधि का है। उन्हें एलईसी (बढाए गए मापदण्ड में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जाता है।

अनुक्रमांक 381 ने अ.जा. श्रेणी में 03 वर्ष से कम अनुभव का दावा किया है। अतः अन्य 199 उम्मीदवारों के साथ उसे विचार क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया है।

अनुक्रमांक 01, 116, 161, 198, 274, 275 तथा 345, अ.पि.व./अना. श्रेणी में संगत क्षेत्र में 07 वर्ष या उससे अधिक अनुभव धारित करने के उनके दावे के आधार पर विचार क्षेत्र में नहीं हैं और इसलिए एलईसी (बढाए गए मापदण्ड में कमी) श्रेणी के अंतर्गत उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

रिक्ति विज्ञापनों में "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त सूचना" के भाग 3 में स्पष्ट रूप से उन उपायों के बारे में उल्लेख किया जाता है कि जब किसी पद के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा में कम कर सकता है। इसे नीचे पुनः उद्धृत किया जाता है:-

"3. न्यूनतम अनिवार्य योग्यता: सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी - I: निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। "

टिप्पणी - II: प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:

- (क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता निर्धारित है।"
- (ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (ग) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा संगत क्षेत्र में अधिक अनुभव के आधार पर।
- (घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
- (ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
- (च) भर्ती परीक्षण का आयोजन करके। सामान्यतया अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षण के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो, सभी का उल्लेख करें।"

संबंधित उम्मीदवारों ने या तो इन अनुदेशों को नहीं पढ़ा है या इसको समझने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, लघुसूचीबद्ध करने हेतु इनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, प्राप्त सभी ई-मेल/अभ्यावेदनों की जांच करने के पश्चात्, तीन और उम्मीदवार को लघुसूचीबद्ध किया गया है और एक उम्मीदवार को जिसे पहले लघुसूचीबद्ध किया गया था अभ अपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। अन्य दो उम्मीदवारों के अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है। तथापि, अन्य पांच उम्मीदवारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं है। इसलिए, इनके अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रखा जाता है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

संवीक्षा:

01 पीडब्ल्यूबीडी* रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) 50% प्रतिशत तक शिथिल किया गया

साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए

अनुक्रमांक:

172 260

(2 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

निर्धारित आयु से अधिक आयु

अनुक्रमांक:

455

(01 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'क'

14 61 66 321 351 407

(06 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'ख'

अनुक्रमांक:

29 65 67 102 128 149

233 353 370

(09 उम्मीदवार)

01 अ.जा. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख)

साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए

अनुक्रमांक:

369 371 372 384 388 390

392 396 409 414 420 423

432 446 453 456

(16 उम्मीदवार)

निर्धारित आयु से अधिक आयु

455^

(01 उम्मीदवार)

^पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया

एलईक्यू- 'क'

अनुक्रमांक

374	378	379	380	386	389
391	400	402/403*	404	410	416
418	426	429	430	436	437
441	445	449			

(21 उम्मीदवार)

*समामेलित

एलईक्यू- 'ख'

अनुक्रमांक

365	366	367	368	375	377/424*
382	385	393	394	395	399
401	406	408	411	412	413
415	417	419	422	427	428
431	434	438	439	440	443
444	447	450	451	454	

*समामेलित

(35 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	387, 397, 405,
कार्यों का स्वरूप नहीं	373, 376, 433, 435, 448, 452
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	398, 457
अनुभव प्रमाण-पत्र मेल नहीं खाता और जन्मतिथि प्रमाण (कक्षा X का प्रमाण-पत्र) मान्य नहीं।	425
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-	

पत्र/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।

(12 उम्मीदवार)

01 अ.पि.व. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) 07 वर्ष या उससे अधिक बढ़ाया गया।

साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए

अनुक्रमांक:

244	252	253	257	277	280
289	291	312	326	331	

(11 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'क'

अनुक्रमांक:

238	241	248	251	255	268
270	271	297	303	307	327
332	338				

(14 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'ख'

अनुक्रमांक:

239	240	245	254	260^	264	281	288	292	293	300	305
309	314	316	319	325	329	334	335	344	347	348	350
353^		355	359	364							

^पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

(28 उम्मीदवार)

एलईसी

अनुक्रमांक:

260^ 301

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

(02 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक:

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	272
कार्यों का स्वरूप नहीं	336, 356, 273
अनुभव प्रमाण-पत्र में तारीख मेल नहीं खाती।	339
दावा की गई स्नातकोत्तर डिग्री संलग्न नहीं की गई (पीजी कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिग्री नहीं)	266
नियुक्ति//त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।	

(06 उम्मीदवार)

01 ईडब्ल्यूएस रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख)

लघुसूचीबद्ध किए गए

शून्य

(0 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'क'

अनुक्रमांक:

222

224

225

226

232

234

(06 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'ख'

अनुक्रमांक:

220 221 223 227 229 230
231 233^

(08 उम्मीदवार)

^पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

अपूर्ण

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	228
<i>नियुक्ति//त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।</i>	

(01 उम्मीदवार)

02 अना. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) 07 वर्ष या उससे अधिक बढ़ाया गया।

साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए

अनुक्रमांक:

04 10 18 22 34 48/72*
57 70 77 83 92 110
138 141 146 154 158 163
165 172^ 175 192 213&

*समामेलित

& अ.पि.व. क्रीमी लेयर

^ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

(23 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

निर्धारित आयु से अधिक आयु

अनुक्रमांक:

74 134

(02 उम्मीदवार)

एलईक्यू- 'क'

अनुक्रमांक:

11	23	27	32	37	46
50	55	66^	68	71	82
89	103	105	123	125	130
133	136	177	182	183	185
204	206				

(26 उम्मीदवार)

^पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

एलईक्यू- 'ख'

अनुक्रमांक:

07	17	39	41	44	58
62	63	91	93	101	104
113	114	126	128^	132	135
143	147	148	149^	152	155
164	171	174	184	190	195
202	203	205	207	218&	

(35 उम्मीदवार)

^पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के रूप में भी विचार किया गया।

&अ.पि.व. क्रीमी लेयर

एलईसी

अनुक्रमांक:

03	40	56	179	201
----	----	----	-----	-----

(5 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	118, 168
कार्यों का स्वरूप नहीं	49, 150
अनुभव प्रमाण-पत्र सुपाठ्य नहीं।	106
दावा की गई स्नातकोत्तर डिग्री संलग्न नहीं की गई (पीजीडी स्नातकोत्तर डिग्री नहीं)	12
जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र नहीं और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण-पत्र नहीं।	87
<i>नियुक्ति//त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।</i>	

(07 उम्मीदवार)

सभी शेष आवेदनों को उनके पास बढ़ाए गए अनुभव या अनिवार्य अनुभव नहीं होने के आधार पर एलईसी/एलईक्यू-ख (बढ़ाए गए मानदंड में कमी/अनिवार्य योग्यता की कमी (ख) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया है।

(186
उम्मीदवार)

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

संकेतक:

एलईक्यू- क - अनिवार्य योग्यता - क में कमी।

एलईक्यू - ख - अनिवार्य योग्यता - ख में कमी।

एलईसी - बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

ईसी - अनुभव प्रमाण-पत्र।

एनओडी - कार्यों का स्वरूप।

परामर्शदाता/उप सचिव

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।